(a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 1999-2000, togetherwith the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Placed in Library. *See* No. L.T. - 3671/01]

REPORTS OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति (तेहरवीं लोक सभा) से संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) सहित निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं: -

(i) Fourteenth Report (Thirteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 8th Report (11th Lok Sabha) on Ministry of Railways (Railway Board) - Reservation for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in South Central Railways.

(ii) Fifteenth Report (Thirteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 5th Report (13th Lok Sabha) on the Ministry of Finance (Banking Division) - Reservation for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in State Bank of Patiala and credit facilities provided by the Bank to them.

MOTION FOR ELECTION TO THE NATIONAL SHIPPING BOARD

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move the following Motion:-

That in pursuance of Clause (a) of sub-section (2) of Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with Rule 3 and sub-rule (1)of Rule 4 of the National Shipping Board Rules, 1960, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, two Members from among the Members of the House to be the Members of the National Shipping Board.

The question was put and the motion was adopted.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Killing and injuring of innocent person and brutal rape on the woman of a minority community in Moradabad

श्री गुलाम नबी आज़ाद (जम्मू और काश्मीर) : माननीय चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। 22 और 23 जुलाई की रात को दुर्भाग्य से मुरादाबाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 6 अल्पसंख्यक मारे गए और 13 जख्मी हुए। कांग्रेस प्रेजीडेंट मिसेज सोनिया गांधी ने परसों एक दोनों हाउसेज के 14 मेम्बरों का पार्लियामेंट का दल भेजा था। यह हमने खुद देखा। इसके बहुत सारे सदस्य यहां मौजूद हैं। वहां देखने के बाद इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल सिर्फ 6 लोगों के मारे जाने और 13 लोगों के जख्मी होने का नहीं है, लेकिन जिस तरह से औरतों, लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, यह किसी भी इन्सान, किसी भी समाज के लिए मेरे ख्याल में कलंक की बात है। मेरे ख्याल में जो इतनी घटनाएं हुई हैं, काश्मीर में जहां आतंकवाद हो रहा है, मेरे ख्याल में वहां भी इस तरह की घटना हमने नहीं देखी कि इन 13 के 13 जो जख्मी हुए और जो 6 मारे गए हैं। 19 लोगों को बेहोश किया गया, क्योंकि सबके नाक से रूई निकली। डॉक्टरों ने कहा कि रुई में कुछ मिला कर इनको बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद सभी के कपड़े उतारे गए और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उनको कुल्हाड़ी और बाकी हथियारों से काटा गया। क्योंकि वे बेहोश थे इसलिए कोई आवाज़ भी नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल में यह घटना न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी चौंकाने वाली है। परसों जब एक पुलिस आफिसर हमें वहां मिला तो तकरीबन दस हजार लोग वहां जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि यह डकैती का मामला हो सकता है। माननीय चेयरमैन साहब, दोनों हाउसेज़ के हम 14 मैंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट इन पांच परिवारों के घरों में गए। हमने इनके घरों में एक भी दरवाजा नहीं देखा। सिर्फ एक-एक कमरा था और दरवाजा किसी का नहीं था। कपड़े न होने के बराबर थे। मेरे ख्याल में एक परिवार के पास चार सौ या पांच सौ के कपड़े और बर्तन मिला कर यह सम्पत्ति थी। इससे ज्यादा सम्पत्ति नहीं थी। जिस घर में चार सौ या पांच सौ के कपड़े और सम्पत्ति हो तो वहां उसको डकैती कैसे कह सकते हैं? माननीय सभापति जी, सब से बड़ी और शर्मनाक घटना होने के बाद आज आठवां दिन है, परसों छठे दिन जब हम लोग वहां गए थे तब भी तकरीबन 10 से 11 हजार लोग वहां जमा थे। वे एक ही चीज़ मांगते हैं कि जो मारे गए, वे तो मारे गए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। वे न्याय चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है कि 19